

देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

समाहर्ता या समुचित सरकार

-:प्रारंभिक अधिसूचना:-

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11(1) के अधीन)

अधिसूचना संख्या1291...../भू अ०

दिनांक : 16/8/2021

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि **ग्राम-रतनपुर, थाना-देवघर, थाना सं०-283, अंचल-देवघर, जिला-देवघर** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना पिछड़ीबाद (MDR-229 पर)-संग्रामलोढ़िया-देवसंग मोड़ (देवघर) (बैद्यनाथपुर-कोरियासा पथ पर) पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य (कुल लम्बाई-16.075 कि०मी०) (पुल निर्माण सहित) कार्य हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि **ग्राम-रतनपुर, थाना-देवघर, थाना सं०-283, अंचल-देवघर, जिला-देवघर** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश-1.635 एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है -

क. स.	खात सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	3	180	रैयती	बाड़ी-2	0.03	कटु राय वल्द बासो राय वो जादो राय वल्द सिरी राय वो मागो राय वो सहदेव राय वो दामोदर राय पे० हाकीम राय कौम भूमिहार ब्राहमन सा० जोगडीहा।	अर्जित खेसरा का शेष भाग	अर्जित खेसरा का शेष भाग एवं गोनर डीह नं०285	पतार डीह नं०-287	चोरड ीहा नं०-391
2	3	183 / 205	रैयती	बाड़ी-2	0.005	तथैव।				
3	3	185	रैयती	बाड़ी-2	0.015	तथैव।				
4	3	133	रैयती	बाड़ी-2	0.15	तथैव।				
5	3	26	रैयती	बाड़ी-2	0.32	तथैव।				
6	4	192	रैयती	बाड़ी-2	0.055	नागेश्वर महारा पे० हरि महारा सा० देह।				
7	5	172	रैयती	बाड़ी-2	0.035	अमर कुमार राय पे० गंगाधर प्रसाद राय वो दिलीप राय पे० अविनाश राय वो प्रमोद राय पे० तिलकधारी राय वो बच्चु राय वो अशोक राय पे० दशरथ राय वो अशोक राय वो संजय राय पे० जनार्दन राय वो चुनचुन राय पे० प्रफुल राय सा०देह।				
8	5	174	रैयती	बाड़ी-2	0.04	तथैव।				
9	5	134	रैयती	बाड़ी-2	0.225	तथैव।				
10	8	166	रैयती	बाड़ी-2	0.035	प्राणधन राय वो बमशंकर राय पे० कोदो राय वो जगरनाथ राय वो बलदेव राय वो कामदेव राय वो अवधेश राय पे० अयोध्या राय वो शशि भुषण राय पे० माधव राय वो महादेव राय वो ईश्वर राय पे० गोपाल राय वो रोहित राय पे० भोलानाथ राय वो मुस्कान राय पे०				

						विवेकानन्द राय वो आदित्य राय वो आशुतोष राय वो दिवाकर राय वो कांशीनाथ राय वो आधीर राय वो कन्हैया राय पे० शुकदेव राय वो हरी राय (आर०टी०) पे० टेको राय वो दुखी राय (आर०टी०) पे० नरसिंह राय सा० देह ।
11	8	168	रैयती	बाड़ी-2	0.20	तथैव ।
12	8	181	रैयती	बाड़ी-2	0.065	तथैव ।
13	8	173	रैयती	बाड़ी-2	0.045	तथैव ।
14	8	177	रैयती	बाड़ी-2	0.04	तथैव ।
15	9	171	रैयती	बाड़ी-2	0.055	नवल किशोर राय वो सुबल प्रसाद राय पे० मदन राय वो गायत्री देवी पति विकास राय वो सुनील कुमार राय वो अभिमन्यु राय वो विष्णु राय वो रंजीत राय वो टिंको राय पे० गया राय वो तीतु राय (आर०टी०) पे० कारु राय सा० जोगडीहा ।
16	9	176	रैयती	बाड़ी-2	0.04	तथैव ।
17	10	163	रैयती	बाड़ी-2	0.045	अनील राउत पे० भुवनेश्वर राउत वो सुरेश राउत वो भरत राउत वो मनोज राउत पे० छोटी राउत वो देवेन्द्र राउत पे० ब्रह्नु राउत वो विश्वनाथ राउत वो सुधीर राउत पे० कारु राउत सा० देह ।
18	11	160	रैयती	बाड़ी-2	0.025	प्राणधन राय वो बमशंकर राय पे० कोदो राय सा० जोगडीहा ।
19	11	161	रैयती	बाड़ी-2	0.05	अमर कुमार राय पे० गंगाधर प्रसाद राय सा० जोगडीहा ।
20	12	179	रैयती	बाड़ी-2	0.025	पृथ्वीनाथ राय पे० बैधनाथ राय वो राजेश राय वो विलेश राय पे० सतयनारायण राय वो अनील राय पे० मुरारी राय वो भिमाधर राय पे० बनु राय सा० देह ।
21	12	182	रैयती	बाड़ी-2	0.03	तथैव ।
22	12	189	रैयती	बाड़ी-2	0.105	तथैव ।
कुल रकवा-					1.635	

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई

अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेंगी।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी

अपर समाहर्ता
देवघर

समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 1291 / भू अ०, देवघर, दिनांक 16/8/2021

- प्रतिलिपि : संबंधित भू धारियों को सूचनार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।
 प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।
 प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित साथ ही अखबार में प्रकाशित अधिसूचना की प्रति जिला भू अर्जन कार्यालय, देवघर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
 प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला गजट के आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित।
 प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी

अपर समाहर्ता
देवघर

समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।